(36)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3751–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–10–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 56/2012–13/अपील.

मु. शारदा वेवा कोकसिंह जाटव
निवासी ग्राम लहचूरा का पुरा मजरा
जहचुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. मंसाराम (मृत) वारिस–
   (1) मुस मुन्नी बाई बेवा मंशाराम
   (2) शिवकुमार पुत्र मंशाराम
   (3) नवलसिंह पुत्र मंशाराम
   (4) विवेक पुत्र मंशाराम
   (5) दीपा
   (6) छाया
   (7) संगीता
   (8) विनीता पुत्रियां मंशाराम
   समस्त निवासी बाड कं 1 गोहद तहसील गोहद
   जिला भिण्ड म0प्र0
2. अंकुश
3. विष्णु पुत्रगण होतम सिंह ना0बा0 संरक्षक पिता
   होतमसिंह पहलवान सिंह
   निवासी वार्ड कं 1 गोहद तहसील गोहद
   जिला भिण्ड म0प्र0
4. होतमसिहं पुत्र पहलवानसिंह
   निवासी ग्राम पुराना घनश्यामपुरा वार्ड कं 1
   तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
5. कोकसिंह (मृत) वारिस–
   (1) कुसुम
   (2) चांदनी पुत्रियां स्व0 कोकसिंह
   (3) धमेन्द्र पुत्र स्व0 कोकसिंह
   निवासीगण ग्राम जहचूरा का पुरा तह0 गोहद
   जिला भिण्ड म0प्र0
6. रामसनेही

7. राजकुमारी
8. ममता पुत्रीगण पहलवान सिहं
निवासी ग्राम पुराना घनश्याम का पुरा वार्ड कं 1
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

———— अनावेदकगण

....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक अनावेदक कं 1से 4 एवं 6 से 8

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/7/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 20—10—2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा ग्राम लहचूहरा की सर्वे कमांक 1278 रकवा 0.53 एवं 1036 र कवा 1.01 हे0 भूमि का 1/3 हिस्से पर पांचोबाई के स्थान पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार वृत्त एण्डोरी जिला भिण्ड 15—12—11 के द्वारा आवेदिका का आवेदन निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23—2—12 के द्वारा अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त मुरैना ने आदेश दिनांक 20—10—2016 के द्वारा अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के अभिलेख के

अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध करने में असमर्थ रही है इसी कारण तहसीलदार ने नामांतरण आवेदन निरस्त किया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। जहां तक आवेदिका अभिभाषक द्वारा उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक 5 कोकसिंह फौत हो गये हैं अतः कोकसिंह के स्थान पर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश में उनके विधिक वारिसों का नाम जोडा जाये। चूंकि तहसीलदार द्वारा समान भाग पर सभी वारिसों के नाम नामांतण स्वीकार किया है जिसे इस न्यायालय द्वारा भी स्थिर रखा गया है ऐसी स्थिति में आवेदिका मृतक कोकसिंह को हिस्से में प्राप्त भूमि पर वारिसाना नामांतरण कराने के लिए स्वतंत्र है। किन्तु इस निगरानी में इस बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई निर्णय प्रदान नहीं किया जा सकता है इसके लिए आवेदिका पृथक से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 20—10—2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर